माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालिय केम्प इन्दौर

निगरानी प्रकरण क्र................../2013
प्रस्तुती दिनांक......................................

1. सजन पिता गुलाबसिंह

2. मग्याबाई पति गुमानसिंह पिता गुलाबसिंह

निवासी– ग्राम बाकी टाण्डा तहसील कुक्षी ....आवेदकगण

वि रू द्ध

श्री.......................................
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक..................
को प्रस्तुत

1. जसवंत कुमार बेवा कनकमल महाजन

2. राजेन्द्र कुमार पिता शोभागमल

3 सुरेश कुमार पिता शोभागमल

4. महेश कुमार पिता शोभागमल

निवासी– ग्राम टाण्डा तहसील कुक्षी ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

महोदय,

आवेदकगण का निवेदन है कि –

1. यह कि, आवेदकगण, अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 603/2012–2013 में पारित आदेश दिनाक 07.08.2013 से दुखीत एवं पीडित होकर उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2013 कि प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-4424 दो/13 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7–8–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–6–1978 एवं 9–2–1986 के विरूद्ध पूर्व में अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई थी, जिसमे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–3–1985 को आदेश पारित कर अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–2–1986 को संबंधित पक्षकारों को मूल्य निर्धारण कर रूपये 2500/– का भुगतान न्यायालय के समक्ष किया जाकर भूमि संबंधी विवाद नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध लगभग 30 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदकगण द्वारा अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रह जाती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अग्राह्य करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	